

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद
तहसील मुरादाबाद
आवेदन क्र० 171350030075122
प्रमाणपत्र क्र० 042173021752

जारी दिनांक: 08/09/2017

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्रपूत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

कु. ऑचल कश्यप

श्री दिनेश कुमार

श्रीमती रमा देवी

, स्माट अशोक नगर डेरा सतकरतार के
पीछे हरा मकान साँई के सामने



उत्तर प्रदेश राज्य की कश्यप जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. ऑचल कश्यप पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: जयपाल सिंह, राजसाहिबर कैफे
पद: जयपाल सिंह, केन्द्र प्रभारी
स्थान: बुद्धि विहार आवास
विकास, मुरादाबाद, Moradabad
दिनांक: 08/09/2017
हस्ताक्षर एवं मुहर

SUNITA SINGH
Digitally Signed by
SUNITA SINGH
C-TEHSIL OFFICE
GABHANA
OU-REVENUE
DEPARTMENT, S-Uttar
Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 08/09/2017

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा दैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है।
यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर इसका पहले आवेदन क्र० अकित कर, स्थापित किया जा सकता है।